अध्याय I
प्रस्तावना

1.1 एसएएसएफ के बारे में

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), एक सांविधिक निगम, भारत के औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था यह सार्वजनिक और निजी दोनो क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधि वित्त प्रदान करने की एक शीर्ष संस्था थी। 1 अक्टूबर 2004 से आईडीबीआई का अस्तित्व समाप्त हो गया और उसकी जगह कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत आईडीबीआई बैंक, एक पंजीकृत इकाई के रूप में अस्तित्व में आई थी। आईडीबीआई उपक्रम का हस्तांतरण हो गया था और आईडीबीआई बैंक में निहित था। मार्च 2004 तक, आईडीबीआई में नान परफार्मिंग एसेट (एनपीए) जमा हो गए जो लगभग ₹ 9000 करोड़ तक के थे।

देय राशि की वसूली के दृष्टिगत आईडीबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट के हस्तांतरण द्वारा अधिग्रहण और इन परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए निपटानकर्ता[1] के रूप में सरकार ने एक विशेष उद्देश्य माध्यम का गठन करने का निर्णय लिया। उसने आईडीबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट के लिए "स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाइज़ेशन फंड" (एसएएसएफ) का गठन किया और सितम्बर 2004 में एसएएसएफ ट्रस्ट डीड का कार्यान्वयन किया था।

सरकार ने ट्रस्ट को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए बजट में ₹ 9000 करोड़ उपलब्ध करवाए थे। प्रावधान "आईडीबीआई के लिए एसएएसएफ के सृजन के लिए एक विशेष उद्देश्य माध्यम (एक ट्रस्ट) को ऋण देने" के लिए थी। राशि "केन्द्र सरकार द्वारा जारी गैर ब्याज वाली विशेष प्रतिभूतियों में निवेश" के लिए था। इसके परिणामस्वरूप, विशेष जमा और लेखा (मुख्य शीर्ष 8012) में जमा के निर्धारण के बाद मांग सं. 34 में व्यय शून्य दर्शाया गया था।

ट्रस्ट ने 20 वर्षों में प्रतिदेय सरकार की शून्य ब्याज विशेष प्रतिभूतियों में पैसा निवेश किया। ट्रस्ट ने आईडीबीआई (या उसके उत्तराधिकारी आईडीबीआई बैंक) को ₹ 9000 करोड़ तक की यह विशेष प्रतिभूतियाँ सौंपी और बदले में 636 एनपीए/स्ट्रैस्ड ऋण परिसम्पत्तियां जिनका बकाया शुद्ध ऋण (एनएलओ)[2] ₹ 9,004 करोड था।

---

[1] वह व्यक्ति जो ट्रस्ट निर्मित करता है निपटान कर्ता होता है।

जून 2006 में, एसएएसएफ ने आईडीबीआई बैंक के साथ तीन नए एनपीए/स्ट्रेस्ड ऋण एसेट के लिए आठ टर्नअराउंड मामलों से विनियम किया और इन मामलों के आदान प्रदान के बाद, ₹ 9,006 करोड़ के एनएलओ के साथ 631 एनपीए/स्ट्रेस्ड ऋण परिसम्पत्तियां थीं। (अनुबंध I)

1.2 एसएएसएफ के लेखों की लेखापरीक्षा

ट्रस्ट डीड के खण्ड 17(ए) में कहा गया है कि "निधियों के लेखों का भारत के सीएजी द्वारा अनुरक्षण और लेखापरीक्षा की जाएगी"। सीएजी द्वारा लेखों के अनुरक्षण का प्रावधान गलती से लेखों को तैयार करने के उत्तरदायित्व के रूप में लिखा गया था जोकि अधिकारियों का काम है और सीएजी का नही। ट्रस्ट डीड को तैयार करते समय सीएजी से सलाह नही ली गई थी।

जहाँ तक ट्रस्ट की लेखापरीक्षा का संबंध है, उपरोक्त खण्ड को उद्धृत कर, ट्रस्ट ने सीएजी को एक लेखापरीक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया (जून 2005)। सीएजी ने सूचना दी (जुलाई 2005) कि चूंकि ट्रस्ट एक स्वतंत्र विधिक इकाई थी, ऐसी लेखापरीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब वह सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत सौंपी गई हो। ट्रस्ट को वित्त मंत्रालय के माध्यम से अपना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया था। ट्रस्ट ने अगस्त 2005 में मंत्रालय को सीएजी के दृष्टिकोण के बारे में बताया। मंत्रालय से तब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी जब तक मुम्बई उच्च न्यायालय ने फरवरी 2013 में हस्तक्षेप किया था। मंत्रालय ने अन्ततः मई 2013 में ट्रस्ट की स्थापना के लगभग आठ वर्ष बाद सीएजी को एसएएसएफ की लेखापरीक्षा सौंपी।

इसी बीच ट्रस्ट ने 2004-05 से 2011-12 के लिए अपने लेखे तैयार करना जारी रखा और उनकी लेखापरीक्षा मुम्बई में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म मै. जी.पी. कपाडिया एवं कम्पनी द्वारा करवाई।

1.3 वसूली की स्थिति

ट्रस्ट ने अब तक ₹ 4,071 करोड़ की वसूली की और मार्च 2013 तक भारत सरकार को ₹ 4,059 करोड़ प्रेषित किए। ट्रस्ट ने प्रारंभिक अवधि अर्थात 2005-06 और 2007-08 के बीच ₹ 2407.79 करोड़ (59 प्रतिशत) की महत्पवूर्ण वसूली की थी। इसके बाद वसूल की गई राशि में तेजी से गिरावट आई जिससे पता चलता है कि अब छोड़े गए मामले अधिक जटिल और मुश्किल हैं।

[2] सकल बकाया ऋण (जीएलओ) प्रावधान से पूर्व एक ऋण है और बकाया शुद्ध ऋण (एनएलओ) प्रावधान घटा जीएलओ है।

1.4 संगठन ढांचा

एसएएसएफ को भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यासी बोर्ड (बीओटी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी ट्रस्टी और तीन सदस्य है। 1 जनवरी 2013 से अध्यक्ष और कार्यकारी ट्रस्टी के पदों का विलय कर दिया गया है। ट्रस्टियों का विस्तृत विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। न्यासी बोर्ड की सहायता एक मुख्य महाप्रबंधक, एक महाप्रबंधक और 22 अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ट्रस्ट की स्थापना से दिसम्बर 2012 तक ट्रस्ट के अध्यक्ष और कार्यकारी ट्रस्टी के पद आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के क्रमश: प्रबंध निदेशक और कार्यकारी ट्रस्टी द्वारा रखे जाते थे। इसके अतिरिक्त, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के उप प्रबंधक निदेशक 9 जून 2011 से 31 दिसम्बर 2012 तक बीओटी के वैकल्पिक अध्यक्ष और ट्रस्टी थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एसएएसएफ के बीओटी, किसी भी तरीके से आईडीबीआई से संबंधित थे और जिससे यह "अपने लिए समायोजन सुविधा" नीति दर्शाता है। संयोग से, यह भी देखा गया कि श्री शैलेश हरिभक्ति, मै. हरिभक्ति एण्ड क., चार्टर्ड एकाउंटेंट के सहयोगी, जिन्होंने ट्रस्ट के हस्तांतरण से पहले आईडीबीआई के स्ट्रेस्ड एसेट और ऋण दस्तावेजों को सत्यापित/प्रमाणित किया था, भी 27 अक्टूबर 2004 से 8 जून 2011 तक एसएएसएफ के बीओटी के ट्रस्टी थे।

1.5 स्टाफ की उपलब्धता

ट्रस्ट डीड के खण्ड 18(ए) के अनुसार, एसएएसएफ के अनुरोध पर आईडीबीआई, उस उद्देश्य जिसके लिए इस ट्रस्ट को बनाया गया था, को पूरा करने के लिए ट्रस्ट के प्रबंधन हेतु पर्याप्त संख्या में अपेक्षित योग्यता वाला स्टाफ उपलब्ध करवाएगा। वेतन और अन्य अनुलाभ आईडीबीआई द्वारा वहन किए जाएंगे।

लेखपरीक्षा ने पाया कि:

- ट्रस्ट ने (2004) कर्मचारी आवश्यकताओं का जरूरत के आधार पर मूल्यांकन नही किया था।
- 2005 में नियुक्त अधिकारियों की संख्या 50 थी जोकि 2013 में कम होकर 24 रह गई थी।
- ट्रस्ट ने तदर्थ आधार पर अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए प्रस्ताव दिए थे (जुलाई 2012, अक्टूबर 2012, मार्च 2013 और अप्रैल 2013)। भेजे गए प्रस्तावों में स्टाफ की आवश्यकता के लिए विशिष्ट संख्या का उल्लेख नहीं किया था। जुलाई 2012 से पूर्व कोई लिखित प्रस्ताव नही दिया गया था।

- 2005 से 2013 के दौरान, मूल निकाय आईडीबीआई के 121 कर्मचारियों को ट्रस्ट में कार्य के लिए किसी भी समय प्रतिनियुक्त किया गया था।
- 121 (51 प्रतिशत) में से 62 कर्मचारियों ने एसएएसएफ के साथ दो वर्षों से कम समय के लिए कार्य किया था और 62 कर्मचारियों में से 25 ने एक वर्ष से कम समय के लिए कार्य किया था।
- 121 कर्मचारियों में से केवल 16 को ही वसूली का अनुभव था।
- एसएएसएफ में प्रतिनियुक्त स्टाफ में ऐसे चार अधिकारी शामिल थे जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक मामले थे।

चूंकि एसएएसएफ की वसूली प्रक्रिया में बातचीत और स्ट्रेस्ड एसेट का निपटान भी सम्मिलित हैं, विवेक के लिए गुंजाइश है। इसके अतिरिक्त, स्ट्रेस्ड और कठिन ऋण होने के कारण, आईडीबीआई द्वारा ट्रस्ट में वसूली के अनुभव वाले स्टाफ को नियुक्त करने की आवश्यकता है। तथापि, 121 कर्मचारियों में से केवल 16 को वसूली का अनुभव था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जबकि ट्रस्ट को ₹ 9000 करोड़ के संदिग्ध ऋण की वसूली का कष्टसाध्य कार्य दिया गया था कोई औपचारिक श्रमशक्ति नियोजन और तैनाती नही की गई थी। कर्मिकों के कार्यकाल की स्थिरता के अभाव के अलावा, आईडीबीआई द्वारा तदर्थ तरीके से श्रमशक्ति प्रबन्धन अधिकतर अनौपचारिक आधार पर किया गया था। प्रबंधन संरचना से जांचते हुए यह कहा जा सकता है कि ट्रस्ट ने लगभग आईडीबीआई के विस्तारण के रूप में कार्य किया।

ट्रस्ट ने बताया (अगस्त 2013) कि उन्होंने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के साथ साथ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ मामले को उठाया था और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने पहले से ही सात अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था।

1.6 स्ट्रेस्ड एसेट की वसूली के लिए स्थापित प्रक्रिया

ट्रस्ट डीड के अनुसार, न्यासी बोर्ड को पुनर्गठन, उधार कार्त्ताओं के साथ समझौते, कानूनी उपाय, या ऐसे उपाय अपना कर जो वह उचित समझे, जिसमें भू राजस्व के बकाया की उनकी वसूली सम्मिलित है पर सीमित नहीं, द्वारा स्ट्रेस्ड एसेट की वसूली की शाक्तियां दी गई थीं। बीओटी ने अधिकारियों की समिति (सीओओ) और कार्यकारी समिति (ईसी) को शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित देयों के निपटान के लिए एक संक्षिप्त नीति और प्रक्रिया बनाई (दिसम्बर 2004) और बीओटी ने अप्रैल 2005 में सीओओ और ईसी को शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित विस्तृत वसूली नीति का अनुमोदन किया था। जुलाई 2006 में नीति की समीक्षा और संशोधन किया गया था।

नीति का मुख्य केन्द्र कम से कम समय में प्राथमिकता के आधार पर एकमुश्त निपटान (ओटीएस) या बातचीत से हल (एनएस) का सहारा लेकर परिसम्पत्तियों में फंसी राशि की वसूली था। संभावित रूप से व्यवहार्य मामलों पर पुनर्गठन पर विचार किया जा सकता है और न्यूनतम देयों के पुनर्गठन में सम्पूर्ण मूलधन और ब्याज सम्मिलित हो सकता है। पुनर्गठित स्थायी मूलधन पर ब्याज दर सामान्य रूप से 200 आधार अंकों की एक बराबर दर से कम नही होगा जोकि औसत लाभ आधार पर आईडीबीआई के बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग दर (बीपीएलआर) से कम होता है। वसूली नीति का मूल उद्देश्य एक व्यावाहारिक और लचीला दृष्टिकोण लाने के बारे में था जिससे स्टेस्ड एसेट का समाधान अनुकूल रूप से हो और इन परिसम्पत्तियों में फंसी राशि की वसूली कम से कम समय में हो सके।

वसूली नीति के मुख्य सिद्धान्त थे:

- चूंकि आईडीबीआई द्वारा उसके दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन/वसूली के सभी संभव प्रयत्न करने के बाद एसएएसएफ को लेखों का हस्तांतरण किया गया था, बुनियादी दृष्टिकोण व्यावहारिक और यथार्थवादी होना चाहिए था। (अध्याय I)
- एक मामले में निर्णय लेते समय, कितनी तेजी से वसूली की जा सकती है, यह मुख्य मानदण्ड होगा। (अध्याय I)
- अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, प्रकृति और विशेषताओं पर निर्भर होना चाहिए। (अध्याय I)
- ओटीएस/एनएस पर पहुचंने में, कम से कम समय में अधिकतम राशि की वसूली के प्रयास किए जाने चाहिए। जहाँ प्रतिभूतियों का मूल्य देयों को कवर करने में पर्याप्त है, वहाँ अधिकतम राशि की वसूली के प्रयास किए जाने चाहिए। (अध्याय III)
- मूल्यांकन एसएएसएफ/अन्य प्रतिभूति ऋणदाता/न्यायालय द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। प्रतिभूति के मूल्य में उपलब्ध समर्थक (यथानुपात आधार पर) और सांविधिक देयताओं की राशि और मजदूरों को बकाया देय सहित निपटान राशि के लिए आधार बनाएंगे। यदि परिस्थितियाँ जैसे मौजूदा मूल्यांकन पुराना होना, परिसम्पत्ति के मूल्य में अस्थिरता इत्यादि प्रमाणिक हों तो नए मूल्यांकन की मांग की जा सकती है। (अध्याय III)
- ओटीएस के माध्यम से समझौता राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर एक मुश्त या 12 माह की अधिकतम अवधि मे किया जाएगा। एनएस के

माध्यम से समझौता राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर 36 माह की अधिकतम अवधि में किया जाएगा। योग्य मामलों में इसे 60 माह तक विस्तारित किया जा सकता है। एनएस राशि में सामान्यतया ब्याज होता है, जिसकी दर का निर्णय नकदी प्रवाह पर निर्भर होता है, जोकि सामान्यतया 200 आधार अंको की एक बराबर दर से कम नही होगा जोकि औसत लाभ आधार पर आईडीबीआई के बीपीएलआर से कम होता है उन मामलों में जहाँ एनएस अवधि 24 माह से अधिक हो प्रत्येक 24 माह की समाप्ति पर पुन: ब्याज लगाने के लिए उचित अनुबंध समाविष्ट करने चाहिए। (अध्याय III)

1.7 शक्तियों का प्रत्यायोजन

देयों और समझौता निपटान के पुनर्गठन अर्थात ओटीएस/एनएस के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार था (जुलाई 2006 की वसूली नीति का अध्याय VI):

क्रम संख्या	प्राधिकार	शक्तियां
1	अधिकारियों की समिति (सीओओ) 31 दिसम्बर 2012 तक कार्यकारी ट्रस्टी और तीन अधिकारियों के ट्रस्ट से मिलकर बनती है। 1 जनवरी 2013 से इसमें अध्यक्ष और कार्यकारी ट्रस्टी, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, एक वरिष्ठतम उप महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक (विधि) हैं।	देयों का पुनर्गठन: बकाया देयताओं का पुनर्गठन शामिल ऋण राशि पर ध्यान दिए बिना अधिकारियों की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा बशर्ते (क) बकाया मूलधन और साधारण ब्याज की छूट न हो (ख) पुनर्गठन मूल राशि पर ब्याज दर से 200 बीपीएस के बराबर दर से कम न हो जोकि आईडीबीआई के बीपीएलआर से कम है (औसत मुनाफा)।
		देयों का समझौता निपटान (क) घाटा मूल बकाया ऋण (सकल) के संबंध में होगा। (ख) सीओओ जीएलओ के साथ उन मामलों को छोड़कर जो किसी क्रेडिटर द्वारा इरादतन चूक के रूप में घोषित हों ₹ 10 करोड़ तक और सहित सभी मामलों पर विचार और अनुमोदन कर सकता है और

		ओटीएस/एनएस का अनुमोदन कर सकता है यदि ओटीएस/एनएस राशि एसएएसएफ बुक में जीएलओ से कम न हो। ऐसे सभी अनुमोदन इसी को सूचित किए जाएगें। (ग) सीओओ उधारकर्त्ता के खाते के लम्बित निपटान पर उचित क्षतिपूर्ति के भुगतान पर गारंटी देने पर विचार और अनुमोदन कर सकता है।
2	कार्यकारी समिति (ईसी) - में अध्यक्ष, कार्यकारी ट्रस्टी और न्यासी बोर्ड के दो सदस्य होते है।	ईसी जीएलओ के साथ ₹ 50 करोड़ तक और सहित सभी ओटीएज/एनएस मामलों पर विचार और अनुमोदन करेगा। 21 दिसम्बर 2011 को हुई बीओटी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड अर्थात् कार्यकारी समिति और कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित शक्तियाँ जो इसके बाद बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाएंगी, के लिए एक अलग उप-समिति की जरूरत नही थी।
3	न्यासी बोर्ड (बीओटी) में अध्यक्ष और कार्यकारी ट्रस्टी और तीन सदस्य होते हैं।	(i) ओटीएस/एनएस के संबंध में जीएलओ के साथ ₹ 50 करोड़ से अधिक के सभी मामलों पर न्यासी बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा। (ii) किसी भी कारण से एलसी द्वारा मंजूर न किए गए अपवादात्मक मामलों को यदि कार्यकारी समिति द्वारा आवश्यक और वाछंनीय समझा जाए तो न्यासी बोर्ड को भी भेजा जा सकता है। (iii) वह मामले जिन्हें बैंक/संस्थानों द्वारा राशि पर ध्यान दिए बिना जानबूझ

		कर चूककर्ता घोषित किया गया हो, पर बीओटी द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा।
4	अनुवीक्षण समिति (एससी) में अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं।	एसएएसएफ बहियों में बकाया मूल ऋण के बही मूल्य से कम पर निपटान के प्रस्तावों के सभी समझौतों (दिसम्बर 2004 के शक्तियें के प्रत्यायोजन के अनुसार, यह बकाया सकल मूल ऋण था) को इस समिति के समक्ष रखा जाएगा। एससी से अपेक्षित है कि वह निपटान के औचित्य की जाँच करेगा और यदि स्वीकार्य पाया जाएगा, तो एससी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए मामले को मंजूरी दे सकता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उधारकर्ता/सहायको द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटियों के उपचार पर एसएएसएफ के कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नही थे। न्यास ने गारंटरों की परिसम्पत्तियों या उनके आयकर रिर्टनों की प्रतियों का ब्यौरा जमा नही किया था।

1.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

एसएएसएफ की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी और न्यास की स्थापना से 31 मार्च 2013 तक की अवधि को कवर किया गया था। व्यापक रूप से लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करने के लिए किया गया था कि क्या:

- न्यास ने वसूल की गई राशि को सरकार को न्यास विलेख के अनुसार वापिस किया और हस्तांतरित राशि के बराबर विशेष प्रतिभूतियों को परिसमाप्त किया और तदनुसार ऋण राशि को कम किया;
- एसएएसएफ बोर्ड ने स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित की थी;
- बोर्ड ने स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों की वसूली के कदम उठाए;
- स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के परिसमापन के मामले में परिसम्पत्तियों की अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्यांकन किया गया;

- सहयोगियों से व्यक्तिगत गारंटियां व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के ब्यौरे के साथ रिकार्ड में उपलब्ध थीं; ट्रस्ट उनसे आय कर रिटर्न की प्रतियां जमा कर रहा था और अन्य उपायों की विफलता की स्थिति में, व्यक्तिगत गारंटी/उपयोग करने, स्ट्रेस्ड परिसम्पत्ति की जब्ती और परिसमापन जैसे अन्तिम उपायों को तुरन्त किया गया; और
- न्यास स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों की वसूली के नियत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर था।

1.9 लेखापरीक्षा नमूना चयन

लेखापरीक्षा जाँच के लिए 631 में से 88 मामलों का नमूना चयन स्तरीकृत तरीके से किया गया था जैसा नीचे दर्शाया गया है। नमूने में स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य का 62.77 प्रतिशत कवर किया गया था। एनएलओ के साथ ₹ 25 करोड़ से ऊपर के सभी 52 मामलों का चयन किया गया था।

₹ करोड़ में

वर्ग	मामलों की संख्या	एनएलओ	चयनित मामलों की संख्या	एनएलओ
डिक्री मामले	55	468.65	8	214.30
वाद दाखिल मामले	254	3078.62	28	1836.82
डिक्री/वाद दाखिल मामलों के अलावा	322	5269.83	52	3602.46
आईडीबीआई को वापिस हस्तांतरित किए गए आठ मामलों के संबंध में एनएलओ की वसूली और समायोजन	--	189.17[3]	--	--
कुल	**631**	**9,006.27**	**88**	**5,653.58**

[टिप्पणी: स्ट्रेस्ड मामलों के हस्तांतरण के समय, आईडीबीआई ने वाद दाखिल मामलों में वसूली के लिए मुकदमा दायर किया और डिक्री मामलों में डिक्री हासिल की (वसूली आदेश)]।

[3] ₹ 189.17 करोड़ में से ₹ 93.60 करोड़ एसएएसएफ द्वारा वसूली गई राशि थी और शेष ₹ 95.57 करोड़ आईडीबीआई को वापिस हस्तांतरित आठ मामलों के एनएलओ में कमी के कारण था।

1.10 आभार

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग को 6 नवम्बर 2013 को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई थी। 30 जनवरी 2014 को उत्तर प्राप्त हुए थे। एसएएसएफ और मंत्रालय के उत्तरों को जहाँ उपयुक्त समझा गया समाविष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर एसएएसएफ प्रबंधन और वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।